

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 426 / 2011

संस्थित दिनांक-08.11.2011

फाईलिंग दिनांक-230303001252011

म०प्र० शासन द्वारा—
आरक्षी केन्द्र मौ तहसील गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

-----अपीलार्थी / अभियोजन

वि रु द्ध

भगवानसिंह पुत्र हरजीतसिंह आयु 47 साल
जाति जाटव निवासी ग्राम उझावल थाना मौ
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० -----प्रत्यर्थी / आरोपी

अपीलार्थी / राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
प्रत्यर्थी / आरोपी द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता

न्यायालय—श्री मनीष शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-492/04 में पारित दोषमुक्ति निर्णय दिनांक
24.08.2011 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक **29 दिसंबर 2014** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / अभियोजन की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 492/04 निर्णय दिनांक-24.08.2011 के निर्णय से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / प्रत्यर्थी को धारा- 409, 420, 467, एवं 471 भा०दं०सं० के अपराधों से दोषमुक्त किया गया था।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि

आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह शाखा पोस्टमास्टर उझावल मौ के पद पर पदस्थ रहा तथा मामले की फरियादिया अनीता देवी का पति हरीकेश यादव ग्रेनेडियर ए कंपनी कारगिल में प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदस्थ था तथा वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह 500-500रूपये मनीऑर्डर के माध्यम से भेजता था जो उसे न मिलने पर उसने शिकायत की थी जिसकी जांच भी हुई थी।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक 15.08.04 को उपसंभागीय निरीक्षक (डांक) मेहगांव उपसंभाग द्वारा डांकपाल भगवानसिंह के विरुद्ध अनीतादेवी पत्नी हरकेश निवासी बमरौली के मनीऑर्डर का फर्जी भुगतान करने एवं दस्तावेजों की कूटरचना कर छल के प्रयोजन से स्वयं के हित में संपरिवर्तित करने एवं राशि प्राप्त करने के संबंध में एफ0आई0आर0 दर्ज करने बाबत आवेदन भेजा गया। साथ में उनके द्वारा जांच भी भेजी गई। जिसके आधार पर आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह के विरुद्ध अप0क्र0-120/04 पर मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा जांच के कागजात एवं अन्य दस्तावेज जप्त किये गये। तथा दस्तावेजों को हस्तलेख परीक्षण हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल भी भेजा गया। तथा साक्षीगण के कथन लेख किये गये। तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा-409, 420, 467 एवं 468 भा0द0वि0 के अंतर्गत विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा-409, 420, 468 एवं 471 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी/प्रत्यर्थी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत प्रत्यर्थी/आरोपी को धारा-धारा-409, 420, 468 एवं 471 भा0द0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थी ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया गया है कि अ0सा0-1 अनीता, अ0सा0-2 हरिकेश, अ0सा0-3 रामदुलारे एवं अ0सा0-5 श्रीकृष्ण ने एकरूपता से अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके कथनों को अनदेखा किया है। तथा साक्षी क्र0-6 अमरसिंह ने अपनी संपूर्ण कहानी को एवं अपनी विभागीय जांच को पूर्णतः सिद्ध किया है जिसके संबंधमें दस्तावेज भी तैयार किये गये हैं और उन्हें भी अनदेखा किया गया

है। तथा अ0सा0-6 अमरसिंह ने आरोपी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध की गई जांच में उसे दोषी पाया था जिसकी जांच रिपोर्ट भी पेश है उसको भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। तथा अ0सा0-4 अतुल श्रीवास्तव के समक्ष फर्जी दस्तावेज पुलिस ने जप्त किये थे जिसे सिद्ध भी किया गया था। तथा विवेचना अधिकारी द्वारा उक्त सब तथ्यों को न्यायालय ने अनदेखा कर उन्हें नजर अंदाज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1995(5) एस0सी0सी0 पेज 518 करनैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 एवं 2006 (1) सी0सी0एस0सी0 403 जाहिरा हवीबुल्ला शेख बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात पेश किये गये जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार विवेचक की किसी भी प्रकार की त्रुटि का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। फिर भी महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जावे। जिसका आरोपी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि आरोपी/प्रत्यर्थी ने कोई अपराध नहीं किया है उसे झूठा फंसाया है। अतः अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और आरोपी/प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया जावे।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्र0क0-492 / 2004 इ0फौ0 में घोषित निर्णय दिनांक 24.08.2011 अभिलेख पर आई साक्ष्य तथा विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है
- 2- क्या प्रत्यर्थी/आरोपी भगवानसिंह विरचित आरोपों या उनमें से किसी अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य है?

—:- निष्कर्ष के आधार —:-

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का

अध्ययन किया गया। शासन की ओर से की गई अपील ज्ञान में उठाये गये बिन्दुओं का तथा उसके अनुसार विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा किये गये तर्कों एवं आरोपी/प्रत्यर्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्कों पर चिन्तन, मनन किया गया। आलोच्य निर्णय मुताबिक आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनी ऑर्डर के भुगतान के संबंध में हस्ताक्षरों की कूट रचना करने संबंधी किये गये आक्षेप को संदिग्ध मानते हुए उसे धारा-409, 420, 468 एवं 471 भा0द0सं0 के आरोपों से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया है।

8. शासन की ओर से की गई दोषमुक्ति की अपील में मूलतः यह बिन्दु उठाये गये हैं कि अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये थे उन सभी में एकरूपता है। और सभी ने आरोपी/प्रत्यर्थी पर कूट रचित हस्ताक्षर कर मनी ऑर्डर की राशि का स्वयं उपयोग में लेकर अपराध कारित किये जाने की साक्ष्य दी है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने केवल विवेचक की त्रुटि के आधार पर संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया है जो कि उचित नहीं है क्योंकि विवेचक की किसी भी प्रकार की त्रुटि का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में अपील ज्ञापन में उनके हित में न्याय दृष्टांत करनैलसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 (1995) वोल्यूम-5 एस0सी0सी0 पेज-518 एवं जाहिरा हबीबुल्ला शेख विरुद्ध स्टेट ऑफ़ गुजराज (2006) वोल्यूम-1 सी0सी0एस0सी0 पेज-403 उल्लेखित किये हैं। किन्तु उन्हें पेश नहीं किया गया है। और उक्त विचाराधीन दाण्डिक अपील में मूलतः इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय में अभिलेख पर आई साक्ष्य विधि एवं तथ्य परिस्थितियों से अन्यथा जाकर निष्कर्ष निकाले और क्या अपील स्वीकार की जाकर आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह को लगाये गये आरोपों के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है। हालांकि तर्कों में आरोपी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे आरोपी/प्रत्यर्थी के द्वारा मनी ऑर्डर भुगतान प्राप्ति में कोई हस्ताक्षरों में पाने वाले की कूटरचना की गई हो। उन्होंने अभिलेख पर आई साक्ष्य के बारे में भी अपने तर्कों में बताया है कि फरियादिया श्रीमती अनीता संयुक्त हिन्दू परिवार में रहती है और ग्रामीण परिवेश में महिलाएँ पर्दा प्रथा के कारण घर के अंदर रहती हैं, बाहर के काम पुरुष करते हैं और उसके परिवार के अन्य सम्मिलित सदस्यों मेंसे किसीने मनी ऑर्डर प्राप्त किये और आरोपी/प्रत्यर्थी पर झूठा आक्षेप लगा दिया। तथा विवेचना के

दौरान आरोपी/प्रत्यर्थी के हस्ताक्षरों के नमूना आदि लेकर हस्तलेख विशेषज्ञ पी0एच0क्यू0 भोपाल से भी जांच कराने के लिये कार्यवाही की गई किन्तु कोई जांच रिपोर्ट पर्याप्त अवसर दिये जाने और न्यायालय की रिपोर्ट तलब किये जाने पर भी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई। तथा संबंधित मनी ऑर्डर भी प्राप्त नहीं हुए और प्रश्नगत दस्तावेजों का अभाव रहा। तथा जो दस्तावेज जप्त करना बताये गये वे पुलिस की माल पंजी में भी दर्ज नहीं पाये गये हैं इसलिये दोषमुक्ति का निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से पारित किया गया है।

9. प्रत्यर्थी/आरोपी के विरुद्ध जो आरोप विरचित किये गये थे उनके संबंध में प्रश्नगत बताये गये मनी ऑर्डर जो सितंबर 1999 से लेकर दिसंबर-2000 के दरम्यान के 500रुपये मासिक के कुल 16 बताये गये जिनकी कूट रचना का आक्षेप किया गया था। स्वीकृत तथ्यों के मुताबिक उक्त अवधि में आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह पोस्टमेन होकर लोक सेवक रहा है। और फरियादिया अनीता का निवास स्थान ग्राम बमरौली उसके कार्यक्षेत्र में रहा है। पोस्टमेन के नाते मनी ऑर्डर की राशि आरोपी/प्रत्यर्थी पर लोकसेवक के रूप में न्यस्त रही, उसकी उपधारणा की जा सकती है। मूल रूप से यह विचारणीय है कि क्या आरोपी/प्रत्यर्थी ने मनी ऑर्डर भुगतान के फर्जी हस्ताक्षर करके मनी ऑर्डर की राशि का स्वयं के लिये उपयोग करके लोक सेवक के नाते आपराधिक न्यासभंग किया और हस्ताक्षरों की कूट रचना छल के प्रयोजन से करते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाई गई।
10. धारा-405 भा0दं0सं0 के मुताबिक जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।
11. धारा-420 के मुताबिक- जो कोई छल करेगा, और तदद्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त

कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे। एवं धारा-463 के मुताबिक— जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षतिकारित की जाये, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये, या कारित किया जाये कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे, या कपट कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से फरियादिया अनीता अ0सा0-1, हरकेश यादव अ0सा0-2, रामदुलारे अ0सा0-3 और श्रीकृष्ण अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य एकरूपता से आया है कि हरिकेश फौज में नौकर था और वह कारगिल में पदस्थ था। तथा वह अपनी पत्नी को 500 रुपये मासिक मनी ऑर्डर से भेजता था। उक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य में यह भी एकरूपता से आया है कि उनका संयुक्त परिवार है और वे सभी संयुक्त रूप से रहते हैं। तथा अनीता अ0सा0-1 का हरिकेश अ0सा0-2 पति है, रामदुलारे अ0सा0-3 जेठ है और श्रीकृष्ण अ0सा0-5 चचिया ससुर है। उनके कथनों में यह भी एकरूपता से आया है कि उनके गांव में पर्दाप्रथा है किन्तु महिलाएँ घर के अंदर रहती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं तथा उनके घर में टेलीफोन भी है और उनकी आपस में बातचीत हुई। मनी ऑर्डर भेजने के दौरान हरिकेश से बातचीत होती रही है और मनीऑर्डर भेजने तथा न मिलने की बात जब हरिकेश छुट्टी लेकर आया था, उसके बाद ज्ञात हुई।

12. अनीता अ0सा0-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि उसे तीन महीने मनी ऑर्डर प्राप्त हुए थे। उसके पश्चात आठ महीने मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए और डांकघर में जानकारी लेने पर यह पता चला था कि हर महीने मनी ऑर्डर आ रहे हैं और बीच में डांकिया पैसे खा जाता था जिसकी थाने पर शिकायत की गई थी। अधीक्षक चंबल संभाग डांकघर मुरैना को प्र0पी0-1 का आवेदन भेजा गया था और उपसंभाग निरीक्षक डांकघर के द्वारा जांच भी की गई थी। उसके हस्ताक्षर नमूना लिये गये थे जो प्र0पी0-2 है तथा जांच के दौरान उसने मनीऑर्डर न मिलने के संबंध में प्र0पी0-3 का पत्र भी दिया था जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर भी ए से ए भाग पर बताये हैं। और डांकिये पर यह आक्षेप किया गया है कि उसने मनीऑर्डर फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाले। तथा जो आवेदन दिया

गया था वह भगवानसिंह द्वारा पैसे खा लेने के संबंध में दिया था। इस साक्षिया ने पैरा-7 में यह भी स्वीकार किया है कि गांव में कोई चिट्ठी पत्री आती है तो उसे चौपाल पर बैठे व्यक्ति ही प्राप्त कर लेते हैं और संबंधित को दे देने की कह देते हैं तथा डांकिया हस्ताक्षर कराकर देने के लिये कहे तो गांव वाले हस्ताक्षर भी कर देते थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके ससुर की अनुपस्थिति में घर की देखरेख चचिया ससुर करते थे। और यह भी स्वीकार किया है कि उसके ससुर अजबसिंह पुलिस में हैं और उनके द्वारा कार्यवाही की गई थी। जो मनीऑर्डर उसे प्राप्त हुए उनका नंबर उसे याद नहीं है। प्र0पी0-1 उसके ससुर लिखवाकर लाये थे। उसने इस बात से इन्कार किया है कि मनीऑर्डरों पर उसके जेठ रामदुलारे गवाही के रूप में हस्ताक्षर कर देते थे और इस बात से भी इन्कार किया है कि जिन 16 मनी ऑर्डरों की शिकायत उसके द्वारा की गई, उन्हें रामदुलारे ने हस्ताक्षर करके प्राप्त किया।

13. हरकेश अ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में पत्नी अनीता को भेजे गये मनीऑर्डरों में से तीन महीने की राशि प्राप्त होना, शेष 16 महीने की राशि प्राप्त न होना बताते हुए सितंबर-1999 से दिसंबर-2000 की राशि प्राप्त न होने पर कार्यवाही करना बताया है और इस दौरान भगवानसिंह उनके ग्राम पोस्ट का डांकिया था। उसने भी उसके द्वारा मनी ऑर्डर के पैसे फर्जी हस्ताक्षर करके नकल लेने की बात कही है और यह कहा है कि वह जून के महीने में पूर समय अपने घर रुका था। इस दौरान उसने कोई शिकायत नहीं की। पैरा-5 में उसका कहना है कि जिसके नाम से मनी ऑर्डर होता है, वही उसे लेता है। तथा यह भी स्वीकार किया है कि जो मनीऑर्डर उसकी पत्नी को प्राप्त हुए थे उन पर उसके चाचा श्रीकृष्ण के भी हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि श्रीकृष्ण द्वारा राशि प्राप्त करने से पैरा-9 में इन्कार किया गया है।

14. रामदुलारे अ0सा0-3 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि जो मनीऑर्डर भगवानसिंह ने अनीता को दिये थे उन पर उसने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे और लगभग 16 महीने के मनी ऑर्डर के पैसे प्राप्त नहीं हुए थे। डांकिये ने बीच में कुछ गड़बड़ी की थी और फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिये थे। जब हरिकेश छुट्टी आया था तब इसका पता चला था और उससे बातचीत हुई थी। पैरा-4 में इस साक्षी ने अ0सा0-1 की तरह यह स्वीकार किया है कि उनके गांव में पर्दा प्रथा होने से महिलाएँ घर के अंदर रहती हैं लेकिन इस बात से इन्कार किया

है कि बहू अनीता के पैसे उसने प्राप्त किये। हालांकि यह स्वीकार किया है कि वह हर समय घर पर नहीं रहता था और उसकी अनुपस्थिति में मनी ऑर्डरों पर श्रीकृष्ण ने हस्ताक्षर किये या नहीं, यह श्रीकृष्ण ही बता सकते हैं।

15. श्रीकृष्ण अ0सा0-5 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि दो बार मनीऑर्डर भगवानसिंह ने दिया था और वर्ष 1999 से दिसंबर-2000 के बीच 14-15 बार मनी ऑर्डर आया था जो अनीता को प्राप्त नहीं हुए जिसका उसने पोस्टऑफिस में जाकर रिकॉर्ड भी देखा था। तब एक बार रामदुलारे के व अनीता के हस्ताक्षर दिखाये गये थे। और रामदुलारे ने एक बार अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया था। पैरा-3 में दो मनीऑर्डरों पर उसके सही हस्ताक्षर होना व एक पर रामदुलारे के और कुल तीन कागजों पर अनीता के सही हस्ताक्षर होना उसने स्वीकार किये हैं।
16. उपरोक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य से जिन तीन मनी ऑर्डरों की सही प्राप्ति की बात बताई जा रही है, उनमें अनीता अ0सा0-1 के कथन में यह भी आया है कि मनी ऑर्डर क्रमांक-905 जो कि दिनांक 28.03.2000 का था और क्रमांक-990 जो दिसंबर का था उन्हें वह सही प्राप्त होना बताती है। तथा रामदुलारे अ0सा0-3 मनी ऑर्डर क्रमांक-917 की प्राप्ति के हस्ताक्षर सही बताता है। उपरोक्त साक्षियों ने आरोपी/प्रत्यर्थी पर पोस्टमेन होने के आधार पर फर्जी या कूटरचित हस्ताक्षर कर राशि का आहरण करने का आक्षेप शंका के तहत किया गया क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके सामने भगवानसिंह ने फर्जी हस्ताक्षर नहीं किये और यह सही है कि कोई भी कूट रचना किसी के सामने नहीं करता है इसलिये इस संबंध में तथ्य परिस्थितियों और दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
17. अभिलेख पर जो अन्य साक्ष्य आई है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि जो शिकायत चंबल संभाग मुरैना डाकघर को की गई थी जिस पर जांच हुई थी उसमें 16 में से 11 मनीऑर्डरों के व्हाउचर ही जांच में प्राप्त हुए जो प्रश्नगत व्हाउचर जिन पर फर्जी हस्ताक्षरों का आक्षेप किया गया और उन्हें प्र0पी0-4 के द्वारा जप्त किया जाना पुलिस द्वारा बताया गया। उनके संबंध में अभिलेख पर स्पष्ट हुआ है कि उक्त जप्त व्हाउचरों का थाने के माल पंजी में कोई इन्द्राज ही नहीं है जबकि उन्हें हस्तलेख विशेषज्ञ को जांच में लिये भेजा जाना भी अनुसंधानकर्ता श्यामसुंदर गुप्ता अ0सा0-7 के द्वारा बताया गया है।

18. प्र0पी0-4 की जप्ती की कार्यवाही ए0एस0आई0 आर0सी0 कर्ण के द्वारा किया जाना बताया गया है जो परीक्षित नहीं हुआ है और उसकी कार्यवाही को श्यामसुंदर गुप्ता अ0सा0-7 ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करना कहा है। आर0सी0 कर्ण को साक्ष्य में क्यों पेश नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में अ0सा0-1 लगायत अ0सा0-3 तथा अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से इसबात की तो पुष्टि होती है कि हरिकेश के द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान 500 रुपये मासिक के रूप में अपनी पत्नी विनीता को प्रश्नगत अवधि में मनीऑर्डर भेजे गये जिनमें से कुछ उसे प्राप्त हुए, कुछ प्राप्त नहीं हुए। यह बिन्दु भी उक्त प्रकरण में महत्व रखता है कि जिस स्थान की घटना बताई गई है वह ग्रामीण अंचल है और फरियादिया का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार है जहाँ महिलाएँ पर्दानशी होती हैं, बाहरी कार्य पुरुष करते हैं। एक मनीऑर्डर पर उसके जेठ रामदुलारे के हस्ताक्षरों की स्वीकृति भी आयी है। श्रीकृष्ण ने गवाही के रूप में हस्ताक्षर तीन मनीऑर्डरों पर होना बताया है। ऐसे में बचाव पक्ष का यह आधार कि रामदुलारे या श्रीकृष्ण हस्ताक्षर कर भुगतान प्राप्त करते रहे, उसे बलहीन नहीं माना जा सकता है। हालांकि यह सही है कि इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से केवल सुझाव दिये गये थे कोई खण्डन साक्ष्य पेश नहीं की गई है। किन्तु यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दण्डाज्ञा मामले में प्रमाण भार अभियोजन का ही होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। बचाव पक्ष पर केवल संदेह प्रकट करने का ही आधार होता है। ऐसे में हस्ताक्षरों की कूट रचना के संबंध में अन्य साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे।
19. अतुल श्रीवास्तव अ0सा0-4 जो कि पोस्टऑफिस का ही कर्मचारी है, उसने अमरसिंह राठौर जो कि पोस्टऑफिस में एस0डी0आई0पी0 के पद पर पदस्थ थे, उनके निर्देश पर प्रकरण से संबंधित मनीऑर्डर का रिकॉर्ड थाने पर जाकर जप्त कराना बताते हुए प्र0पी0-4 के जप्ती पत्र पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। लेकिन उसे यह जानकारी नहीं है कि मनी ऑर्डर के पर्चों के अतिरिक्त जांच के कोई कथन पुलिस को जप्त कराये थे या नहीं कराये थे और हस्ताक्षर नमूना के दस्तावेज दिये थे या नहीं। जबकि प्र0पी0-4 मुताबिक पोस्टऑफिस में प्र0पी0-1 के लेखीय आवेदन पर से की गई जांच और उस जांच के दौरान फरियादिया अनीता के लिये गये नमूना हस्ताक्षर, मनी ऑर्डर प्राप्त न होने संबंधी पत्र, साक्षी के रूप में श्रीकृष्ण यादव के नमूना

हस्ताक्षर जो प्र०पी०-5 है। रामदुलारे के नमूना हस्ताक्षर जो प्र०पी०-6 हैं, श्रीकृष्ण याव का प्र०पी०-7 का पत्र जो कि गवाही के रूप में हस्ताक्षर संबंधी था, तथा आरोपी/प्रत्यर्थी भगवानसिंह के द्वारा दिया गया जवाब प्र०पी०-8 जिस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं, उन्हें भी प्र०पी०-4 के जप्ती पत्र द्वारा मनीऑर्डर के व्हाउचर के साथ ही जप्त करना बताया गया है। इस तरह से प्र०पी०-4 के जो दस्तावेज हैं उनमें प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-3, प्र०पी०-5 लगायत प्र०पी०-11 के दस्तावेज हैं जिनके संबंध में अतुल श्रीवास्तव अ०सा०-4 की विरोधाभाषी साक्ष्य आई है और उसे सही जानकारी का अभाव है, उसका दूसरा पंच साक्षी एस०पी० शिवहरे था जिसे पेश नहीं किया गया है। लेकिन अमरसिंह राठौर जिससे जप्ती की कार्यवाही हुई, वह अ०सा०-6 के रूप में परीक्षित हुआ है जो डांकघर का निरीक्षक रहा था जिसके अभिसाक्ष्य पर से यह देखना होगा कि प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-3, एवं प्र०पी०-5 लगायत प्र०पी०-11 की कार्यवाही कितनी उपयोगी व विश्वसनीय है।

20. अमरसिंह राठौर अ०सा०-6 ने अपनी अभिसाक्ष्य में वर्ष 2004 में उप संभागीय निरीक्षक डांकघर के पद पर पदस्थ रहते हुए अनीता देवी द्वारा डांकघर उझावल के संबंध में मनीऑर्डर प्राप्त न होने बाबत जो शिकायत की थी उसकी जांच उसके द्वारा अनीता एवं संबंधित व्यक्तियों के कथन आदि लेकर की गई थी और जांच के क्रम में 16 मनीऑर्डर के भुगतान किये जाने की बात सामने आई थी। तथा दस्तावेजों से यह दर्शित हो रहा था कि भुगतान प्रतिमाह किया गया है। उक्त मनीऑर्डर के भुगतान किये जाने के संबंध में भगवानसिंह जाटव जो कि पोस्टमास्टर के प्रभार में था, उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनीता देवी के हस्ताक्षर कराना बताया गया था परन्तु अनीता ने हस्ताक्षर फर्जी बताये थे और अस्वीकार किये थे जिस पर से उसने जांच में यह पाया था कि अनीता के फर्जी हस्ताक्षर करके आरोपी भगवानसिंह द्वारा तैयार कर मनीऑर्डर प्राप्त किया गया था और उसके संबंध में ऑडिट कार्यालय भोपाल से भी दस्तावेज तलब किये गये थे तथा उसने अपना जांच प्रतिवेदन अधीक्षक अधीक्षक डांकघर मुरैना को भेजा था। अनीता, रामदुलारे और श्रीकृष्ण के नमूना हस्ताक्षर लिये थे और तत्पश्चात एफ०आई०आर० दर्ज कराई थी।

21. उक्त साक्षी ने श्रीकृष्ण यादव के नमूना हस्ताक्षर प्र०पी०-5 बताये हैं जिसके ए से ए भाग पर श्रीकृष्ण यादव के और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार रामदुलारे

के नमूना हस्ताक्षर प्र0पी0-6 बताते हुए उसके ए से ए भाग पर और बी से बी भाग के हस्ताक्षर स्वयं के बताये हैं। तथा जांच में श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये कथन प्र0पी0-7 तथा आरोपी भगवानसिंह के कथन प्र0पी0-8 और पुलिस द्वारा उसके लिये गये कथन प्र0पी0-9, तथा अधीक्षक चंबल संभाग मुरैना को भेजी गई रिपोर्ट की अटैस्टेड प्रति प्र0पी0-10 बताई है। तथा अधीक्षक डांकघर ए0के0 यादव के द्वारा थाना प्रभारी मौ को एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के संबंध में भेजा गया पत्र प्र0पी0-11 बताया है जिसके ए से ए भाग पर श्री ए0के0 यादव के हस्ताक्षर भी उक्त साक्षी ने बताये हैं और पुलिस द्वारा प्र0पी0-4 के जप्त पत्र मुताबिक जांच के दस्तावेज जप्त करना बताये हैं।

22. साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि अनीता ने जो मनीऑर्डर प्राप्त होना बताये थे वह जांच वाले 16 मनीऑर्डरों में से ही प्राप्त होना बताये थे या उसके अलावा बताये थे। उसे प्र0पी0-1 अधीक्षक डांकघर से प्राप्त हुआ था। लेकिन जो पत्र उसे जांच हेतु प्राप्त हुआ था वह जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न न होना पैरा-5 में स्वीकार करते हुए उसकी प्रतिलिपि होना बताया है और यह स्वीकार किया है कि मनीऑर्डर प्राप्त होने के बाद प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं तथा उसे ऑडिट हेतु भोपाल भेजा जाता है और वहीं जमा होता है। प्र0पी0-10 में सी से सी भाग पर मनीऑर्डर क्रमांक-905 दिनांक 28.03.2000 के द्वारा 500 रुपये का सही भुगतान होना तथा मनीऑर्डर क्रमांक-917 के भुगतान से निरंतर किया जाना बताया था। जिस पर रामदुलारे ने हस्ताक्षर स्वीकार किये थे और उसे सही बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि 16 में से केवल 11 व्हाउचर ही प्राप्त हुए थे। शेष 5 व्हाउचर क्यों प्राप्त नहीं हुए इसका कोई उल्लेख जांच रिपोर्ट में नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि श्रीकृष्ण ने पृथक से नौ मनीऑर्डरों पर अपने हस्ताक्षर न होने के संबंध में कोई कथन उसकी जांच रिपोर्ट में संलग्न नहीं है जिसका भी वह कारण नहीं बता सकता है लेकिन उसने लिखाया था और उसने गांव में जाकर ही जांच करना बताया है। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि जांच के दौरान फरियादिया अनीता पोस्टऑफिस में आई थी या नहीं।

23. जांच के संबंध में हरकेश के लिये गये कथन के संबंध में भी इस साक्षी ने कोई जानकारी न होना बताया है और यह भी याद न होना बताया है कि हरकेश पोस्टऑफिस गया था या नहीं। जबकि अनीता अ0सा0-1 ने कोई कथन देने से इन्कार किया है। ऐसे में उक्त साक्षी अ0सा0-6 अमरसिंह की

जांच की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। तथा प्रकरण में जो हस्ताक्षर नमूना लिये गये, उनकी हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच कराना बताया गया है किन्तु कोई जांच रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई जिसके संबंध में अनेक अवसर भी दिये गये और स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जांच प्राप्ति के संबंध में अनेक बार पत्र व्यवहार भी किया गया किन्तु उसके बावजूद भी कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त न होना अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित करने को बल देती है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में भी स्पष्ट किया है। ऐसे में अमरसिंह अ०सा०-6 के अभिसाक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को संदेह से परे प्रमाणित नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में वह अनभिज्ञता प्रकट करता है। और उक्त साक्षी जो पत्र प्राप्त होना बताता है वह मूल न होकर प्रतिलिपि है। एक ओर तो उक्त साक्षी मनीऑर्डर प्राप्ति के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर बताता है और दूसरी ओर प्राप्तकर्ता द्वारा उन हस्ताक्षरों को फर्जी रूप से तैयार किया जाना बताया गया है किन्तु कोई भी हस्ताक्षर कूटरचित हैं या नहीं हैं, निश्चित करने के लिये हस्तलेख विशेषज्ञ एक सशक्त माध्यम होता है और इस प्रकरण में हस्तलेख विशेषज्ञ की कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा जप्त दस्तावेजों का माल पंजी में इन्द्राज न होना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। ऐसे में अ०सा०-6 की अभिसाक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वास न कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

24. प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि मनीऑर्डर भेजने वाला अनीता का पति हरकेश अ०सा०-2 की अपने परिवारीजनों से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत होती रहती थी और वह जब अवकाश में आया तो पूरे जून के महीने में घर पर रुका किन्तु इस दौरान कोई शिकायत न किया जाना भी संदेह उत्पन्न करता है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पर्दानशी होना और पुरुषों द्वारा हस्ताक्षर कराके दे दिये जाने का जो बिन्दु आया है उससे भी इस तथ्य की कोई कड़ी नहीं जुड़ती है कि आरोपी के द्वारा कूटरचित हस्ताक्षर करके मनीऑर्डरों की राशि को प्राप्त कर आपराधिक न्यासभंग किया गया। और मुरैना डांकघर द्वारा जो जांच की गई उसमें किन-किन लोगों की गवाही ली गई, इसके बारे में भी हरिकेश को कोई जानकारी नहीं है न ही अनीता को है। जबकि जांच में उन्हें शामिल किया जाना बताया गया है।

25. ऐसे में प्र०पी०-1 लगायत 3 एवं प्र०पी०-5 लगायत

11 के दस्तावेज प्रमाणित नहीं किये गये हैं तथा प्र0पी0-12 के माध्यम से जो जांच के दस्तावेज भेजे गये उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त न होने से प्र0पी0-12 भी विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ऐसे में विवेचक श्यामसुंदर गुप्ता अ0सा0-7 के द्वारा की गई कार्यवाही औपचारिक स्वरूप की हो जाती है जिसने प्र0पी0-4 के अनुसार दस्तावेज जप्त करने के अलावा आरोपी की गिरफ्तारी आदि करना बताया है और यह स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान जो 16 में से 11 मनीऑर्डर फॉर्म ही जप्त हुए थे, शेष मनीऑर्डर फॉर्मों को जप्त करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया है जैसाकि वह पैरा-4 में स्वीकार करता है जिससे विवेचना की कार्यवाही लचर प्रकृति की हो जाती है। हालांकि यह सही है कि विवेचक की किसी त्रुटि के लिये आरोपी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। किन्तु दाण्डिक विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के मुताबिक प्रमाण भार अभियोजन पर ही रहता है। ऐसे में युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध प्रमाणित करने का भार आरोपी पक्ष पर शिफ्ट नहीं होता है। और हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट प्राप्त न होना विवेचक की त्रुटि का न होकर अभियोजन की गंभीर कमी है जिससे अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा बनती है कि अवश्य ही हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभियोजन के विरुद्ध रही होगी अन्यथा उसे पेश किया जाता।

26. प्र0पी0-4 का जप्तीकर्ता ए0एस0आई0 आर0सी0 कर्ण था जिसका कथन नहीं हुआ है। इसलिये प्र0पी0-4 भी प्रमाणित दस्तावेज नहीं है।

27. अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे आरोपी का बताई गई घटना के समय प्रभारी डांकपाल के रूप में लोक सेवक तो होना प्रमाणित होता है जिसके कर्तव्य में मनीऑर्डर वितरण का कार्य शामिल था लेकिन ऐसी साक्ष्य नहीं है कि उसके द्वारा मनीऑर्डर भुगतान के पाने वाले के कूटरचित हस्ताक्षर कर न्यस्त राशि स्वयं के उपयोग में ली। ऐसी प्रत्यक्ष साक्ष्य तो संभव नहीं है कि कोई कूटरचित हस्ताक्षर करके वह देखता लेकिन उपधारणा के लिये हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश कर उसे प्रमाणित कराया जाना आवश्यक था जिसका कि प्रकरण में सर्वथा अभाव है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक जो निष्कर्ष निकाले हैं उन्हें विधि विरुद्ध या तथ्यों के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है।

28. दोषमुक्ति की दाण्डिक अपील के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध छोटेलाल नामदेव 2009 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0

एस0एन0-114 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ दो दृष्टिकोण संभव हों, वहाँ दोषमुक्ति को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध सुनील जैन उर्फ टक्की एवं अन्य 2007 (3)एम0पी0एल0जे0-372 में भी यही मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ दृष्टिकोण दो संभव हों, एक दोषमुक्ति का हो और दूसरा दोषसिद्धि का हो तो विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषमुक्ति की राय को स्वीकार किया जाना चाहिए। उक्त न्याय दृष्टांत में हस्तगत दाण्डिक अपील में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की दोषमुक्ति के संबंध में आलोच्य निर्णय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, उसे देखते हुए लागू किये जाने योग्य है। फलतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई दोषमुक्ति की दाण्डिक अपील वाद विचार स्वीकार योग्य न होने से निरस्त करते हुए दोषमुक्ति की पुष्टि की जाती है।

29. अपील में प्रत्यर्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
30. निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क अपीलार्थी/अभियोजन को प्रदान की जावे।
31. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति नहीं है।
32. निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

दिनांक: 29 दिसंबर- 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड